ईमेल / अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

कमांक:एफ 13( )खा.वि. / आवंटन / 2020 जयपुर, दिनांक : 16-4-2020

समस्त,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः— प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत (PMGKAY) निःशुल्क दाल वितरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत (PMGKAY) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र परिवारों को 01 किलोग्राम दाल निःशुल्क वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान राज्य में चयनित पात्र परिवारों को चना दाल का निःशुल्क वितरण इस योजनान्तर्गत किया जायेगा। इस हेतु नेफेड द्वारा जिला स्तरीय प्रदाय केन्द्र पर दाल की आपूर्ति की जायेगी जहां से निगम / केवीएसएस द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य दुकान तक आवंटन अनुसार आपूर्ति की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत माह अप्रेल, मई एवं जून, 2020 हेतु उचित मूल्य दुकानवार आवंटन आपको प्रेषित किया जा रहा है। जिला स्तर से प्रत्येक माह हेतु उप—आवंटन आप द्वारा किया जाना है। इस हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत विभागीय आवंटन प्राप्त होने के अधिकतम आगामी दिवस तक उप—आवंटन आवश्यक रूप से कर दिया जावें। नेफेड से प्राप्त दाल 50 किग्रा. के पैकिंग में प्राप्त होगी। अतः माह अप्रेल एवं मई हेतु उप—आवंटन 50 किग्रा. के गुणक में ही किया जावें तथा जून माह हेतु शेष रही मात्रा का उप—आवंटन किया जावें, ताकि इस हेतु री—पैकिंग की आवश्यकता मात्र माह जून की आपूर्ति में ही उत्पन्न हो। सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक माह (कुल तीन माह) हेतु आपूर्ति एक साथ की जा सकेगी।

उक्त निर्देशों को अति—आवश्यक समझते हुए पालना निश्चित रूप से सुनिश्चित की जावें।

(सुरेश गुप्ता)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन.आई.सी.), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त